



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-270028
CG-DL-E-10022026-270028

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639]
No. 639]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2026

का.आ. 673(अ).— जबकि मैसर्स स्प्रिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत पता शेल सेंटर, कॉमर्जेन, ब्लॉक II, नंबर 2, 200 फीट रेडियल रोड, पल्लीकर्णाई, चेन्नई - 600100, तमில்நாடு, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “गुजरात के बनासकांठा में मैसर्स स्प्रिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/84/2024-PG दिनांकित 30.08.2024 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “गुजरात के बनासकांठा में मैसर्स स्प्रिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स स्प्रिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 12.10.2024, यंगलीडर (हिंदी में) दिनांक 07.04.2025, रखेवाल (गुजराती में) दिनांक 12.10.2024, और भारत

के सासाहिक राजपत्र दिनांक 10.05.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मैसर्स स्प्रिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 13.01.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत “गुजरात के बनासकांठा में मैसर्स स्प्रिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- i. एसईपीएल (जनरेशन स्विचयार्ड गांव- भरदवा, तहसील - सुइगाम (वाव), जिला- बनासकांठा, गुजरात में स्थित है) - राधानेसड़ा पीएस 220 केवी एस/सी लाइन (डी/सी टावरों पर)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन गुजरात के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी:

क्र. सं.	गाँव का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1	भरदवा, लाखा सारा, मेघपुरा, रडोसण, पाडण, गोलाप नेसदा, चतरपुरा, जेलाणा, खरदोल, असारा, खिमनापादर, खिमनावास	सुइगाम (वाव)	बनासकांठा	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत, मैसर्स स्प्रिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निवंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

- vi. मैसर्स स्प्रिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों द्वारा इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/17/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

**MINISTRY OF POWER
ORDER**

New Delhi, the 9th February, 2026

S.O. 673(E).— Whereas M/s Sprng Energy Private Limited having its registered address at Shell Centre, Commerzone, Block II, No.2, 200 Feet Radial Road, Pallikaranai, Chennai - 600100, Tamil Nadu, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Sprng Energy Private Limited for its proposed Solar Power Plant in Banaskantha, Gujarat”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/84/2024-PG dated 30.08.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Sprng Energy Private Limited for its proposed Solar Power Plant in Banaskantha, Gujarat”.

M/s Sprng Energy Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Times of India (in English) dated 12.10.2024, Youngeleader (in Hindi) dated 07.04.2025, Rakhewal (in Gujarati) dated 12.10.2024, and in Weekly Gazette of India dated 10.05.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Sprng Energy Private Limited has submitted an affidavit dated 13.01.2026 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication in the official gazette of Government of India and newspaper publications.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Sprng Energy Private Limited for its proposed Solar Power Plant in Banaskantha, Gujarat”. The following overhead line is covered under this scheme:

- i. SEPL (Generation switchyard located in village- Bharadwa, Tehsil - Suigam (Vav), District- Banaskantha, Gujarat) – Radhanesda PS 220 kV S/c line (on D/c towers).

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of **Gujarat**:

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District	State
1.	Bharadwa, Lakha Sara, Meghpura, Rodasan, Padan, Golap Nesda, Chaturpura, Jelana, Khardol, Asara, Khimana Padar, Khimana Vas	Suigam (Vav)	Banaskantha	Gujarat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Sprng Energy Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Sprng Energy Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/17/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)